



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



संख्या: सम्बद्धन/२०२३ / 2026
दिनांक: 22/10/26

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय- उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु मतदान दिवस को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा के पत्रांक संख्या-1398/डीईओ-29-(अवकाश)/2026 दिनांक 20.10.2026 के क्रम में सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-914(1)/सी०ई०ओ०-2-98/4-2002 दिनांक 13 अक्टूबर, 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के आगरा खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी जो बोनाफाइड मतदाता हैं और जो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद् के निर्वाचनों हेतु अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति/विविध संख्या-1/1493315/2026 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की अपेक्षा की गयी है।

तत्कम में आयुक्त महोदय/रिटर्निंग आफिसर के पत्र संख्या-116/एल०बी०ए०/2026 दिनांक 16.10.2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के आगरा खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदाताओं हेतु दिनांक 23.10.2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया जाता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान दिवस दिनांक 23.10.2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा।
2. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, रोहता, ग्वालियर रोड़, आगरा।
4. अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रेस नोट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-914(1)/सी०ई० ओ०-2-98/4-2002 दिनांक 13 अक्टूबर, 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी जो विश्व विद्यालय स्नातक हैं और जो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों हेतु बौनाफाइड मतदाता हैं, को मताधिकार के प्रयोग हेतु, मतदान दिवस दिनांक 23-10-2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति/विविध संख्या-1/1493315/2026 दिनांक 13-10-2026 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम क्रम में आयुक्त महोदय/रिटर्निंग आफिसर के पत्र संख्या-116/एल०बी०ए०/2026 दिनांक 16 अक्टूबर, 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदाताओं हेतु दिनांक 23-10-2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया जाता है।

(मनीष बंसल)

जिलाधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी,
आगरा।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा।

संख्या-1398/डीईओ-29-(अवकाश)/2026

दिनांक 20 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।
- 3-समस्त प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी, आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।
- 4-कुल सचिव, आगरा विश्व विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5-क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, रोहता तहसील-सदर जनपद-आगरा को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीन जनपद के समस्त महा विद्यालयों को दिनांक 23-10-2026 के दिन अवकाश अनुमन्य कराना सुनिश्चित करें।
- 6-जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को प्रचार-प्रसार हेतु।

DR (A) / AR (A) /

समस्त विद्यालयों को सूचित करें

जिलाधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी,
आगरा।

22/10/26

568
22/10/26

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

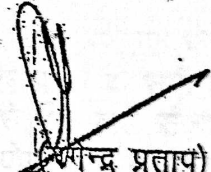
संख्या: 116 / एल0बी0ए0 / 2026 दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी,
आगरा खण्ड शिक्षक / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र,
आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस,
एटा, कसगंज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद व कन्नौज।

विषय- उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन- 2026 हेतु मतदान दिवस को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- 914/सी0ई0ओ0-2-98/4-2002 दिनांक 13.10.2026 (जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है), का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन- 2026 हेतु मतदान दिवस को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 13.10.2026 में की गयी अपेक्षानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(अनन्द प्रताप)
आयुक्त

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2026
विज्ञापित/विविध

विषय:- दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 मतदान दिवस पर विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु मतदान दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को सम्पन्न होगा, जो निम्नानुसार है:-
 (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक क्षेत्र, जहां निर्वाचन होना है:-

क्र०	खण्ड स्नातक क्षेत्र
1	लखनऊ
2	वाराणसी
3	आगरा
4	मेरठ
5	इलाहाबाद-झांसी

(2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड शिक्षक क्षेत्र, जहां निर्वाचन होना है:-

क्र०	खण्ड शिक्षक क्षेत्र
1	लखनऊ
2	वाराणसी
3	आगरा
4	मेरठ
5	बरेली-मुरादाबाद
6	गोरखपुर-फैजाबाद

2- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- EC/118/2026 दिनांक 22 सितम्बर, 2026 के क्रम में अपर निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 805/सी० ई० 300-2/98/4/2002, दिनांक 24 सितम्बर, 2026 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में उत्तर प्रदेश राज्य के उक्त सभी कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और जो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य

विधान परिषद के निर्वाचन हेतु बोनफाइड मतदाता हैं, को मताधिकार के प्रयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 23.12.2010 तथा कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.05.1994 के क्रम में मतदान के दिवस (दिनांक 23 अक्टूबर, 2026) को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- ऐसे मतदाताओं के नियंत्रक प्राधिकारियों/ कार्यालयध्यक्षों द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Digitally signed by
Date: 13-10-2026 13:27:36

(एस0वी0एस0 रंगा राव)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सदाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
6. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) उ0प्र0।
7. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस विसृप्ति को यथा समय आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 9- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
BRJESH KUMAR
Date: 13-10-2026 13:27:36

(बृजेश कुमार)

उप सचिव।